संख्या:18/2023/872 ई-2/तेरह-2023-01/2020-1419282

प्रेषक,

संजय आर. भूसरेड्डी
अपर मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

आबकारी आयुक्त,
उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

आबकारी अनुभाग-2 लखनऊ::दिनांक: 12 मई, 2023

विषय:- आबकारी नीति वर्ष 2023-24 के कतिपय प्राविधानों में संशोधन के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-4693/दस-लाइसेंस-367/सुझाव आबकारी नीति/2023-24 (खण्ड-3), दिनांक 19.04.2023 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2. इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि आपके उक्त संदर्भित पत्र के माध्यम से उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव पर सम्यक् विचारोपरान्त प्रदेश के राजस्व एवं जनहित के दृष्टिगत आबकारी नीति वर्ष 2023-24 के क्रियान्वयन में आने वाली व्यवहारिक कठिनाई के समाधान हेतु आबकारी नीति वर्ष 2023-24 के निम्नलिखित प्रस्तरों में संशोधन किये जाने का निर्णय लिया गया है:-

(1) आबकारी नीति वर्ष 2023-24 के प्रस्तर-3.2.10(क) के संबंध में यह स्पष्ट किया जाता है कि बार अनुज्ञापनों के नवीनीकरण की दशा में प्रासेसिंग फीस देय नहीं होगी।

(2) (क) आबकारी नीति वर्ष 2023-24 के प्रस्तर-3.6.1 को इस सीमा तक संशोधित किया जाता है कि वर्ष 2023-24 हेतु निर्धारित न्यूनतम मासिक राजस्व के समतुल्य निकासी से अधिक ली गयी निकासी को भविष्य में न्यूनतम मासिक राजस्व के निर्धारण हेतु संज्ञान में नहीं लिया जायेगा।

(ख) आबकारी नीति वर्ष 2023-24 के प्रस्तर 3.6.1 के अंतर्गत निर्धारित किये गये वार्षिक राजस्व का मासिक विभाजन बीयर की दुकानों के संबंध में लागू नहीं होगा साथ ही उल्लिखित तालिका के पश्चात निम्नांकित तालिका जोड़ दी जायेगी:-

बीयर दुकानों के लिये वार्षिक राजस्व का मासिक विभाजन निम्नवत् किया जाता है:-

क्र.सं.	**माह**	**वार्षिक राजस्व का प्रतिशत**
1.	अप्रैल	14 प्रतिशत

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

2.	मई	14 प्रतिशत
3.	जून	12 प्रतिशत
4.	जुलाई	9 प्रतिशत
5.	अगस्त	8 प्रतिशत
6.	सितम्बर	7 प्रतिशत
7.	अक्टूबर	6 प्रतिशत
8.	नवम्बर	6 प्रतिशत
9.	दिसम्बर	5 प्रतिशत
10.	जनवरी	5 प्रतिशत
11.	फरवरी	7 प्रतिशत
12.	मार्च	7 प्रतिशत

(3) आबकारी नीति वर्ष 2023-24 के प्रस्तर-3.7.2(3) के अंतर्गत उल्लिखित तालिका के स्तम्भ-3 के अंतर्गत समुद्रपार आयातित बीयर पर कस्टम ड्यूटी की दर सी.आई.एफ. मूल्य का 110 प्रतिशत होगी।

(4) आबकारी नीति वर्ष 2023-24 के प्रस्तर-3.7.2(4) में उल्लिखित तालिका के स्तम्भ-7 में समुद्रपार आयातित वाइन के संबंध में फुटकर विक्रेता का मार्जिन (प्रति 750 एम.एल.), रू.90.00+एक्स कस्टम बाण्ड मूल्य (750 एम.एल.) का 10 प्रतिशत (यथावश्यकता अनुपातिक) होगा।

(5) आबकारी नीति वर्ष 2023-24 के प्रस्तर-3.13(1)(ग) निम्नवत् संशोधित किया जाता है:-

"यदि किसी आयातक इकाई द्वारा समुद्रपार आयातित विदेशी मदिरा के 1200 नग एवं समुद्रपार आयातित बीयर के 1500 नग (प्रत्येक धारिता को सम्मिलित करते हुये) तक ही बिक्री करने का शपथ पत्र प्रस्तुत किया जाता है तब ब्राण्ड पंजीकरण की फीस रूपया 10,000/- प्रतिब्राण्ड होगी। इससे अधिक की बिक्री होने पर ब्राण्ड पंजीकरण की फीस निम्नांकित तालिका के अनुसार ही ली जायेगी। यह सुविधा मात्र प्रथम बार पंजीकृत कराये जाने वाले ब्राण्डों के लिये ही अनुमन्य होगी।"

(6) आबकारी नीति वर्ष 2023-24 के प्रस्तर-3.15.1(छ) को निम्नवत् संशोधित किया जाता है:-

"(छ) प्रत्येक बोतल/टेट्रा पैक के लेबिल पर दायीं ओर शीर्ष पर 1 से.मी.X1 से.मी. पर स्पष्ट दृश्यमान बोल्ड फांट में उसकी एम.आर.पी. अंकित की जाएगी। परन्तु विदेशी मदिरा, बीयर एवं एल.ए.बी; के मामलों में उक्त प्राविधान के अनुपालन की अनिवार्यता नहीं होगी।"

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

(7) आबकारी नीति के प्रस्तर-3.15.1(भ) एवं 3.15.1(म) को निम्नानुसार संशोधित किया जाता है:-

3.15.1(भ)- यवासवनी की स्थापना हेतु स्वीकृत किये जाने वाले लाइसेंस बी-20 की वैधता एक वर्ष के स्थान पर दो वर्ष होगी। यदि उक्त अवधि में यवासवनी स्थापित नहीं की जाती है और उक्त लाइसेंस की वैधता बढ़ाये जाने का प्रार्थना पत्र प्राप्त होता है तब प्रत्येक वर्ष के लिये लाइसेंस फीस रूपया एक लाख पच्चीस हजार ली जायेगी।

3.15.1(म)- आसवनी की स्थापना हेतु स्वीकृत किये जाने वाले लाइसेंस पी.डी.-33 की वैधता दो वर्ष हेतु प्रदत्त है। यदि उक्त अवधि में आसवनी स्थापित नहीं की जाती है और उक्त लाइसेंस की वैधता बढ़ाये जाने का प्रार्थना पत्र प्राप्त होता है तब प्रत्येक वर्ष के लिये लाइसेंस फीस रूपया दो लाख पचास हजार ली जायेगी।

कृपया तद्नुसार अग्रतर आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(संजय आर. भूसरेड्डी)
अपर मुख्य सचिव

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।